The question was put and the motion was adopted.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Substitution of Article 282)

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO: Sir, I introduce the Bill.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2019

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People, Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO: Sir, I introduce the Bill.

The National Commission for Welfare of Farmers Bill, 2019

DR. KIRODI LAL MEENA (Rajasthan): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a National Commission for Welfare of Farmers to improve the conditions of farmers and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

DR. KIRODI LAL MEENA: Sir, I introduce the Bill.

PRIVATE MEMBER'S BILL - *Withdrawn/Under Consideration*

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, The Abolition of Capital Punishment Bill, 2016, माननीय श्री प्रदीप टम्टा द्वारा 12 जुलाई, 2019 को मूव किया गया था और 12, जुलाई, 2019 से इस पर बहस चल रही है। हम लगभग 1 घण्टे 14 मिनट की बहस पूरी कर चुके हैं और इसमें 46 मिनट का टाइम शेष है। डा. अशोक बाजपेयी जी बोल रहे थे, वे पहले अपनी बात conclude करेंगे, इसके बाद दूसरे स्पीकर्स अपनी राय रखेंगे।

The Abolition of Capital Punishment Bill, 2016

*__डा. अशोक बाजपेयी__ (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आज़ादी के बाद जिन प्रमुख मामलों में capital punishment दी गई, सुक्खा सिंह, नाहर सिंह व बलदेव सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों की हत्या के कारण वर्ष 1969 में फांसी दी गई।

*continued his speech from 12.07.2019

रंगा व बिल्ला को फांसी दी गई वर्ष 1978 में, जिन्होंने गीता और संजय चोपड़ा की हत्या की।

इसी तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों संबंधी अपराध में JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा वर्ष 1984 को दी गई; सतवंत सिंह और केहर सिंह (प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे) को वर्ष 1989 में; हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुक्खा को, जिन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल ए.एस. वैद्य की हत्या की, उन्हें वर्ष 1992 में; नौ लड़कियों के हत्यारे ऑटो शंकर को वर्ष 1995 में फांसी दी गई; हेतल पारेख के हत्यारे धनंजय चटर्जी को फांसी की सज़ा 14 अगस्त, 2004 को दी गई ;अजमल कसाब को, जो मुम्बई आतंकी हमलों का दोषी था, को 21 नवम्बर, 2012 को यरवदा जेल, पुणे में फांसी दी गई, स्वतंत्रता के पश्चात् 53वीं फांसी की सज़ा अफ़जल गुरु को दी गई। वह संसद भवन पर हमले का दोषी था।

मानवीयता के आधार पर वैश्विक स्तर पर मृत्युदण्ड के उन्मूलन को लेकर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन मान्यवर, ऐसे गंभीर अपराध में, जिनके लिए विधि आयोग ने भी कहा है कि जो हीनियस क्राइम है और जो rarest of the rare cases हैं, ऐसे cases में फांसी की सज़ा देना निहायत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे देश में अराजकता पैदा हो जाएगी और इस तरह के लोग, जो पेशेवर अपराधी हैं, जो पेशे से अपराध करते हैं, हत्या करते हैं... मान्यवर, अभी दो दिन पहले इस सदन में एक विधेयक आया था, जिसमें गंभीर चर्चा हुई कि जो हमारी छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देते हैं, महिलाओं के साथ निर्मम बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, अगर ऐसे अपराधियों के प्रति भी हम क्षमाशील होंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, देश में कैसे कानून का राज कायम रह सकेगा?

मान्यवर, वैसे भी death penalty के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसमें, किन-किन में capital punishment दिया जाना चाहिए, उसमें है treason, for waging war against the Government of India; abetment of mutiny actually committed; perjury resulting in the conviction and death of an innocent person; threatening of inducing any person to give false evidence resulting in the conviction and death of an innocent person; murder; abetment of suicide by a minor, insane person or intoxicated person; attempted murder by a service life convict; kidnapping for ranson; rape and injury; certain repeat offenders in the context of rape; and, decoity with murder. इसके अलावा और जिन cases में capital punishment का प्रावधान है, The Air Force Act, 1950; The Andhra Pradesh Control of Organised Crime Act, 2001; The Arms Act, 1959; The Army Act, 1950; The Assam Rifles Act, 2006; The Bombay Prohibition (Gujarat Amendment) Act, 2009; The Border Security Forces Act, 1968; The Coast Guart Act, 1978; The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987; The Defence of India Act, 1971. इसी तरह से गंभीर अपराधों में, ऐसे मामलों में capital punishment का प्रावधान है। मेरा यह मानना है और मैं समझता हू कि सदन भी इस बात से सहमत होगा कि जो लोग ऐसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी हैं, अगर हमने capital punishment का ग्रावधान, मृत्युदण्ड का ब्रावधान समाप्त कर दिया तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और

[डा. अशोक बाजपेयी]

देश के अंदर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इसी तरह के पेशेवर offenders स्वतंत्र हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मृत्युदण्ड का भय नहीं रहेगा। इतने बड़े देश में बड़ी कम संख्या में लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। जैसा मैने आपको पहले बताया कि चंद लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन उस कानून से भय बना हुआ है, ऐसे तत्वों के मन में जो आतंकवादी हैं, terrorist हैं और जो देश में अराजकता पैदा करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों पर एक दबाव है, एक भय व डर है कि इसकी सज़ा... जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सीमाओं में घुसकर आतंकवाद बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो हमारी मानवता को शर्मसार करने का काम करते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो सुपारी किलर्स हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं कि हम किसको मारने जा रहे हैं, चंद पैसों के लिए कई-कई लोगों की हत्या कर देते हैं, अगर पेशेवर हत्यारों के प्रति भी हमारा दयाभाव होगा, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मान्यवर, इस सज़ा का रहना नितांत ज़रूरी है, अगर इस प्रावधान को हमने समाप्त कर दिया तो कानून का भय समाप्त हो जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। आदरणीय प्रदीप टम्टा जी जो यह प्रस्ताव लेकर आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे इस प्रस्ताव पर विवेकपूर्ण विचार करें। सर, 130 करोड़ आबादी वाले देश में इस तरह के जो offenders हैं, जो इस तरह के पेशेवर अपराधी हैं, अगर हमने उनके प्रति क्षमाशीलता दिखाई, तो देश में कानून व्यवस्था कैसे कायम होगी, कैसे जन-जीवन सुरक्षित रहेगा, कैसे हमारी माताओं और बहनों का सम्मान सुरक्षित रहेगा? कोई भी, कहीं भी आकर किसी की हत्या करके चला जाएगा और उन्हें फांसी का डर नहीं होगा। अभी बड़े अपराधों को घटित करने में फांसी का डर एक बहुत बड़ा कारण है।

मान्यवर, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विधि आयोग ने भी यही कहा है कि ऐसे मामले में फांसी की सज़ा दिया जाना नितांत आवश्यक है, जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं और जिससे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे मामलों में फरवरी, 2009 में कोली और पंढेर को एक लड़की रिम्पा हलदर की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी ठहराया था और फांसी की सज़ा दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंढ़ेर को बरी कर दिया, उसके बाद विगत जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय बाजपेयी जी, आपकी पार्टी से दो वक्ता और हैं। आप पांच मिनट बोल चुके हैं, सिर्फ चार मिनट रह गए हैं, तो आप देख लीजिए।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, मैं कन्क्लूड करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोली की पुनर्विवार याचिका खारिज कर दी और राष्ट्रपति जी ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी थी और जिसका नतीजा यह हुआ कि कोली के नाम डेथ वॉरंट जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोली के मृत्यु दंड पर ऐन वक्त पर रोक नहीं लगाई होती, तो वह भी फांसी के फंदे पर झूल चुका होता।

मान्यवर, ऐसे गंभीर अपराधियों के लिए निश्चित रूप से मृत्युदंड का प्रावधान बने रहने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब अदालतों में मृत्युदंड देने के मामलों में वर्ष 2017 में 27 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन यौन हिंसा से जुड़े हत्या के मामलो में अपराधियों को मौत की सज़ा सुनाने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब भी आप कोई डेली नेशनल अखबार उठाएं या टी.वी. न्यूज़ देखें, तो उस पर एक ही खबर आती है; और, पूरा देश ऐसी घटनाओं पर शर्मसार होता है। छोटी-छोटी बच्चियों का अपहरण करके, उनको उठाकर, उनको लालच देकर उनके साथ यौन शोषण होता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं के साथ भी इसी तरीके का आचरण होता है। अभी सदन में इस पर गंभीर चर्चा हुई और सदन ने एकमत होकर कहा ऐसे दोषियों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए।

मान्यवर, rarest of the rare case, जो विरलतम केस हैं, उन केसेज़ में मृत्युदंड का प्रावधान है और मेरा आग्रह है कि उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। सदन को इस पर भावुक होकर नहीं, व्यावहारिक होकर विचार करना चाहिए। मृत्युदंड जैसे गंभीरतम अपराधों के लिए है, rarest of the rare case के लिए है, उसे बनाए रखना चाहिए। यही देशहित में है, यही जनहित में है और इससे हमारी मानवता, हमारी सभ्यता भी संरक्षित रहेगी। धन्यवाद।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, माननीय प्रदीप टम्टा जी जो प्राइवेट मेम्बर बिल लेकर आए हैं - The Abolition of Capital Punishment Bill, 2016 -- वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसमें न केवल हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया भर में इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। डेथ पेनल्टी rarest of the rare case में दी जाती है, ताकि ऐसा अपराध करने वाले लोगों को दंड मिले और दूसरे लोगों को deterrent हो, एक सबक दिखाई दे, अगर इस तरह का अपराध होता है, तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है और पीड़ित परिवारों को भी यह लगेगा कि हां अगर उनको फांसी की सज़ा हुई है, तो वाकई इस मामले में न्याय हुआ है। यह एक भावना बनती है और हमारा यू.एन. में भी consistent stand रहा है कि हम capital punishment को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। वर्ष 2007 में यू.एन. जनरल असेम्बली में प्रस्ताव, Draft Resolution आया, लेकिन भारत ने अपना मत उसके खिलाफ दिया और वर्ष 2012 में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया। उसमें भी भारत ने अपना वही स्टैंड रखा कि हम capital punishment को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी Mithu *Vs.* State of Punjab में Section 303 के संबंध में एक फैसला दिया कि वे offenders जो life sentence serve कर रहे हैं और वे अगर उस दौरान मर्डर करते हैं तो उन पर mandatory death penalty का provision उसमें किया गया। उस धारा 303 को अवैध घोषित किया। लॉ कमीशन ने इस बीच में 2015 में रिपोर्ट दी, जिसका माननीय अशोक बाजपेयी जी उल्लेख कर रहे थे, उसमें उसने कहा है कि फांसी की सज़ा हटायी जानी चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ युद्ध करने वाले और आतंकवादी गतिविधियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तो जरूर फांसी की सज़ा पर विचार होना चाहिए और बाकी चीज़ों में फांसी की सज़ा हटायी जानी चाहिए - यह उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा। ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जैसे सती प्रथा है, उसमें श्री को सती होने के लिए प्रेरित करने के लिए या सती होने में

[श्री पी.एल. पुनिया]

उसकी मदद करने के संबंध में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें death penalty का mandatory provision है। NDPS, drug-trafficking के बारे में भी mandatory death penalty का provision है | Large-scale narcotics trafficking का पहला अपराध हुआ और फिर दूसरा अपराध भी अगर होता है - पहला साबित हो जाए और फिर उसके बाद दुबारा उसमें संलिप्त पाया जाए तो उसमें mandatory death penalty का provision किया गया है। इसी प्रकार से देश के खिलाफ terrir activities में भी है, निर्भया कांड में भी जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया, जिसमें रेप के बाद death हो जाए तो उसमें भी death penalty का provision किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर कोई बार-बार रेप कर रहा है तो उसमें भी death penalty का है।

महोदय, यह अपनी जगह सही है कि 140 देशों में फांसी की सज़ा को हटाया जा चुका है और यह भी अपनी जगह सही है कि 33 देश ऐसे हैं, जहां पिछले दस वर्षों में एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया और 40 से अधिक ऐसे देश हैं, जहां आज भी मृत्युदंड दिया जाता है, वहां इसका provision है, लेकिन 140 देशों में मृत्युदंड को हटाया जा चुका है। बार-बार यह कहा जाता है कि यह deterrent है। इसके संबंध में कोई ऐसी study नहीं हुई है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि फांसी की सज़ा कोई strong deterrent है या पहले बता देते हैं कि तीन साल से पांच साल बढ़ा दिया, पांच साल से सात साल बढ़ा दिया - ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई study नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि बढ़ी हुई punishment अपराध के लिए deterrent है। Capital punishment के बारे में भी यह कहा जाता है, यह भी उसी तरह के अपराध में दिया जाता है, जैसे मर्डर हुआ या जघन्य अपराध हुआ, तो capital punishment को भी क्रूर, अमानवीय सजा की संज्ञा दी जाती है।

महोदय, मैं बहुत अधिक लम्बी बात न कहते हुए डा. अम्बेडकर को quote करना चाहूंगा, Constituent Assembly में उन्होंने कहा था कि भारत अहिंसा के संविधान में विश्वास रखता है और देश का मौलिक जनादेश है - अहिंसा and I would much rather support the abolition of the death sentence itself. यह बात उन्होंने कही थी। पूरी दुनिया में इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा हो रही है - इसके पक्ष में भी बहुत से arguments हैं और इसके खिलाफ भी बहुत से arguments हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और फांसी की सज़ा के बजाय अगर उन्हें सुधरने का मौका दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह सही रास्ता है। उनमें से कुछ को identify अवश्य कर सकते हैं जैसे Law Commission ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के विरुद्ध युद्ध करने वाले या देश के खिलाफ terror activities में भाग लेने वाले या जघन्य अपराध, जैसे minor girls के साथ रेप और इस तरह के अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ अवश्य capital punishment का provision रखा जाए। लेकिन बाकी सामान्यत: इसको अपराध की श्रेणी से, पनिशमेंट से, मुक्त किया जाना चाहिए। हमें नफरत अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिए। अपराध के क्या कारण रहे हैं, इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। उन कारणों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, उनके बारे में क्या प्रावधान किया जा सकता

है, इस पर भी अवश्य चर्चा होनी चाहिए और इसे रोकने की आवश्यकता करनी चाहिए। मेरे विचार में, मैं टम्टा जी के मत को समर्थन देते हुए, इतना अवश्य कहूंगा कि उसमें एक blanket ban होने के बजाय, इस बारे में अवश्य विचार होना चाहिए। देश के विरुद्ध जघन्य अपराध करने वाले, युद्ध करने वाले लोग और जो terror activities हैं, उनके खिलाफ और मासूम बच्चियों के साथ अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई even capital punishment देने का प्रावधान रहना चाहिए और बाकी सब जगह से हटाया जाना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, पुनिया जी। प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद, श्रीमन्। टम्टा जी, जो रिज़ॉल्यूशन लाए हैं, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें सौ फीसदी निर्दोष लोगों को फांसी की सजा हुई थी। एक बार फांसी की सजा हो जाए और बाद में यह पता चले कि वह निर्दोष था, तो इसे रैक्टिफाई नहीं किया जा सकता है।

मैं अभी आपको केवल दो example देना चाहूंगा। ईसा मसीह को जब crucify किया गया, तो सिर्फ इसलिए किया गया था कि जब वे अपनी बात कहते थे, तो यहूदी धर्म गुरुओं को यह लगा कि यह तो popular हो जाएगा, विद्रोह हो सकता है और उन्होंने गवर्नर से शिकायत की। फिर उसके आधार पर उनको crucify कर दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। बाद में सारी दुनिया ने माना कि यह गलत था, तो वह undo तो हो नहीं सकता है। सुकरात ने जब traditional परंपराओं से हटकर बात की, यह आप जानते हैं और सभी जानते हैं, सुकरात को जूरी के सामने पेश किया गया। उन्होंने अपने तर्कों से जूरी को प्रभावित भी किया और जूरी के लोगों ने कहा कि अगर आप अपने विचारों को त्याग दें, तो आपको माफ किया जा सकता है। सुकरात ने कहा कि "I thank you Athenians. I can give my head but not my faith." फिर उनको जहर का प्याला दे दिया गया और उस जहर से उनकी डेथ हो गई। सुकरात को हम M.A. में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यह जानते हैं कि वे जो कह रहे थे, वह ठीक था, लेकिन कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें जहर देकर मार दिया।

श्रीमन्, हम इस वक्त भी ऐसे लोगों को जानते हैं, जिनको सौ फीसदी गलत दफा 302 में नॉमिनेट किया गया और उनमें से कुछ लोगों को फांसी हो गई, सब जानते हैं कि वे निर्दोष थे। फांसी होना कोई बहुत बड़ा दण्ड नहीं है। फांसी होते ही उसका कष्ट खत्म हो जाता है। फांसी जिसको लगती है, उसको क्या कष्ट होता है, एक मिनट का कष्ट होता है। असली कष्ट है कि वह जीवन भर जेल में रहे और तिल-तिल गल कर मरे। इसलिए मृत्युदण्ड का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। मैं एक बार नैनी सेन्ट्रल जेल में गया था। जब किसान आंदोलन में, रामकोला में, हमारे नेता श्री जनेश्वर मिश्र को वहां जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में ऐसे लोग भी थे, जिनको आजीवन कारावास में जेल में ही मरना था। मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा था कि हमें फांसी हो जाती, इतने कष्ट में जी रहे हैं, अगर फांसी हो जाती, तो कोई कष्ट ही नहीं होता।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

श्रीमन्, यह सोचना गलत है कि फांसी से लोग डरेंगे। लोग डरते हैं, उन लोगों को देखकर, जो जिंदा रहते हुए भी मरे के समान रहते हैं। वे जेल में जब तक रहते हैं, तब तक सश्रम कारावास होता है और फिर अंत में दम तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि अतीत से लेकर अब तक तमाम घटनाएं हैं, जिनमें लोगों को जब फॉसी दी गई और बाद में पता चला कि वे निर्दोष थे, तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनको बाद में ठीक नहीं किया जा सकता, उसको rectify नहीं किया जा सकता। आजीवन कारावास में ऐसा हो सकता है कि लोगों को बाद में न्याय मिल जाए, अगर जजों को यह अहसास हो कि इनको गलत penalize किया गया है, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको दंड देने का प्रोविजन आप बढ़ा सकते हैं, उसको कठोर दंड दिया जाए, उसको जीवन भर कारागार में रखा जाए, उसको सश्रम कारावास की सजा मिले। अगर आप किसी से जेल में मिलने गए हो, तो आपने देखा होगा कि सबसे कठोर काम होता है, जहां पर रोटी बनती है, उसे भट्टी के काम पर लगा दो, जब वह भट्टी के सामने खड़ा हुआ रोटी सेंक रहा है, तो वह लोगों के हाथ जोड़ता है कि किसी तरह से मेरी ड्यूटी यहां से हटा दो। जब उन्हें यह पता चलता है कि हम जीवन भर इसी तरह से रहेंगे, तो उनसे मिलने वाले भी, परिवार वाले भी सोचते हैं कि आइंदा किसी तरह के किसी झगड़े या झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जो प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि मृत्यु दंड एक ऐसा punishment है कि अगर इसमें सही आदमी को दोषी साबित कर दिया जाए, तो उसको फिर कभी आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको कभी rectify नहीं कर सकते हैं, उसमें कभी सुधार नहीं कर सकते हैं।

महोदय, हमें ज्यादा नहीं बोलना था, केवल ये दो - ईसा मसीह और सुकरात के के नाम हैं और लोगों के नाम लेना ठीक नहीं है। हम एक-दो अपराधियों को जानते हैं, जो निर्दोष फंसे हैं और उनको फाँसी की सजा हुई है, लेकिन दूसरे लोगों को यह बताने के लिए कि सही लोगों को भी फाँसी दी जा सकती है और बाद में लोगों को पछताना पड़ता है। बताइए लोग पछताते हैं या नहीं पछताते हैं? इसलिए यह जो प्रदीप टम्टा साहब का प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, I am entirely in agreement with Prof. Ram Gopal Yadav.

Sir, I would start with my own experience. You too hail from the JP Movement. Once, I was put inside the Rourkela Jail as a MISA prisoner. At that time, I was a student. One boy was made the kitchen in-charge for the MISA prisoners. He was about 18 or 19 years old. He was undergoing life imprisonment on a murder charge. I used to talk to him every day. I tried to dig into his history to find out if he was actually involved in the murder case. Every day he used to repeat that he was never involved in the case, that he was not a murderer, but that he was suffering. Fortunately, after

remaining in jail for around 20 years, he was released. He had come to the jail as a 19 year old. He then went back to his village. I kept track of that young man and so, I got to know that this man had died one morning. He lived close to my hometown. I rushed to his village, and I was surprised to find that the entire village was at his funeral. I was surprised! This was an accused, a convict, a man who had come out from jail! I asked the villagers how it happened. They said that he was the best man in the village and that they all respected him. He led such a good and beautiful life, an ideal life. What would have happened had he been hanged? Therefore, Sir, I entirely support this Bill of Shri Pradeep Tamta.

Sir, in independent India, I think Nathuram Godse, accused of killing Gandhiji, was the first person to be hanged. Was it that no national leader got killed after that? Rajiv Gandhi was assassinated; Indiraji was assassinated; former Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon, was assassinated; Mr. Beant Singh was assassinated. Many national figures and leaders have been assassinated.

So, hanging a man has not prevented further killing; it has not helped. So, why should we go for that? Dr. Bajpai was telling about the Law Commission, so was Puniaji. Earlier reports of Law Commissions have not recommended for abolition of this penalty. But in 2015, if I am correct, the Law Commission recommended, as Punia/7 was very rightly pointing out, that there should not be a death penalty except for few crimes like terrorism. That is the recommendation of the Law Commission. We call in English 'tit for tat', 'a hen for a hen', ' a nose for a nose', 'an eye for an eye', 'a head for a head', so 'a life for a life'! This is barbaric. We are trying to reach the Moon; we have sent Chandrayaan. God has blessed us with our great space scientists; they will be able to successfully land it. If it happens, we would be the first in that. In this day and age, we are talking of 'a life for a life'! This does not sound nice to me in this day and age. Yes, India is not agreeing to the UN's Resolution; we have voted against the UN's Resolution twice. But, I think, we should change our mindset. Time is changing. We claim that we are now living in a civilised society. In a civilised society, I don't think that we should further continue with this uncivilised manner of dealing with crime. So, I entirely support this Bill.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, Prasannaji just said, and I quote none but Mahatma Gandhi, "An eye for an eye will make the whole world blind." Then I quote without letting the House know the name, you just guess, "it would be very difficult, if not altogether impossible, to establish any principle upon which the justice or expedience of capital punishment could be founded in a society

[Prof. Manoj Kumar Jha]

glorying in its civilization." It was Karl Marx. Sir, as a child, I watched a movie named "दो आंखें बारह हाथ" by V. Shantaram. I would like, if you could arrange, that we should have a rescreening of this movie for this House. In 1957, we had just come out of the trauma of partition; we had seen enough of violence —mob violence and killings everywhere. Yet, V. Shantaram could produce a movie where hardened criminals were not treated with a weapon of deterrence. I think our journey appears to me a little regressive. The other day also when there was a debate on POCSO, I said it at the cost of sounding unpopular. Sir, the House, the Parliament has to jettison popularity paradigm, if not always, at least, sometimes. सर, कभी-कभी हमें यह करना होगा। अगर आक्रोश के बीच हम कानून बनाएंगे, तो आज नहीं, हो सकता है 20 साल बाद या 40 साल बाद, जो हमारी नई संसद होगी, वह कहेगी कि इस संसद ने अतिरेक या भावातिरेक में कानून बनाया। संसद, काउंसिल ऑफ स्टेट का एक और काम होता है, gauge the mood of the people and, at the same time, provide catharsis, which we have not done. वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 60 मामलों में डैथ पेनल्टी दी और बाद में, कई ऐसी रिपोर्ट्स आईं, जिनमें यह कहा गया कि 15 में शायद error of judgement था या कुछ दूसरा भी हो सकता था। मैं यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। साठ में से पंद्रह! मान लीजिए पंद्रह न हों, पाँच ही हों - हमारे देश में, कानून के निज़ाम में यह बात होती थी कि दस दोषी बच जाएं, सौ छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह के सिर कोई सजा न जय हो जाए। The other day, —I also want to know —one of the High Court Judges asked if you have done any study, a scientific assessment of deterrence and capital punishment; any kind of correlation between the two! We do not know, Sir. No statistical correlation has been established that deterrence results in decline of a particular crime. So, that is another question, I leave to the House. While I extend my full support to Pradeep Tamtaji, in the entire process of our judicature, and the House knows it, —you all know it, I am just repeating it —the poor and the marginalised are victims at multiple level. We all know. सर, अगर आदमी बहुत बड़े रसूख वाला है, तो वह कोई भी जुर्म कर ले, मैं यकीन दिलाता हूं कि वह कैपिटल पनिशमेंट के दायरे में कभी नहीं आएगा। लेकिन एक गरीब, अगर भूख के कारण ब्रेड का एक टुकड़ा भी लेकर भाग जाए, तो उसको न जाने किस-किस तरह की धाराओं में क्या-क्या ज़लालत झेलनी पड़ती है।

महोदय, मेरे सीनियर नेता और मंत्री श्री रामविलास पासवान जी यहाँ मौजूद हैं। बिहार में लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ था, जिसमें 58 दलितों की हत्या हुई थी। मैं बाकी घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं। सब छूट गए, सारे acquit हो गए, क्योंकि दलित मरे ही नहीं थे, किसी की हत्या नहीं हुई थी। यह क्यों हो रहा है? यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो हालात बने हैं,

"बने हैं अहल-इ-हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी,

किसे वकील करें? किससे मुंसिफ़ी चाहें?"

नतीजे में यह हो रहा है कि गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। सर, मैं एक आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और वह मेरी आखिरी टिप्पणी यह है कि यू.एन. की जो पोजिशन है, हम उसकी भी अवहेलना करते हैं। दो चीजें तय होती हैं - right to life and right to life free of torture. मैं समझ रहा हूं कि सदन के समक्ष मैंने अपनी ये बातें रखी हैं। मैं जानता हूं कि बच्चियों के साथ दरिंदगी पर आक्रोश होता है, मुल्क के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों पर होता है। आक्रोश के उन कारणों को, कारकों को दरकिनार कीजिए, लेकिन बाकी मामलों में यह तय हो कि सदन का काम है मुल्क को मशाल भी दिखाना। तीरगी अगर है, तो तीरगी और बढ़ाना सदन का काम नहीं है, बल्कि रोशनी का सुराग रखना काम है। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिंद!

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, बहुत ही सीधी बात है और समझने वाली बात है, परंतु समाज की यह आदर्श स्थिति बने, इसके लिए तो सभी प्रकार से विधि उपाय करने ही होंगे। हमारे यहाँ तो आदर्श स्थिति के बारे में भी कहा है कि -

"नैव राज्यं न राजासीन्न"

अर्थात्, न राजा होगा, न किसी प्रजा की बात होगी।

"च दण्डो न दाण्डिक:।।"

न दंड का विधान होगा, न कोई सजा पाने वाला होगा।

"धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति सम परस्परम्।।"

समाज की सुस्थिति का निर्माण करने के लिए वह आदर्श स्थिति लाने तक अपने-अपने आचरण के अनुसार ही हम एक-दूसरे की रक्षा करते हुए समाज की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यह दंड की प्रक्रिया तो भय के साथ ही होती है।

"बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति।।"

राम तो संयम के पर्याय हैं।

"बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति।।"

अब समाज की रचना को चलाने के लिए, एक आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब ओर से सब प्रकार के प्रयास होंगे और हम भरोसा करते हैं कि एक आदर्श स्थिति बनेगी। किंतु शनै: शनै: जैसा-जैसा सुधार होता जाए, जैसा -जैसा संस्कार होता जाए, वैसा-वैसा सुधार करने की आवश्यकता है। आज समाज की स्थिति क्या है? आज समाज की स्थिति में जिस प्रकार की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार का समाज का मानस है, यहाँ से वहाँ तक जिस भी तरह का है, वह सबके सामने प्रकट है। आदर्श की बात करना और आदर्श पर चलना, इसमें बहुत अन्तर है। इसलिए आदर्श को स्थापित करने के लिए जितने उपाय करने हैं, वे करने ही होंगे। "शठे शाठ्यम

[डा. सत्यनारायण जटिया]

समाचरेत्" - जैसे को तैसा। अब आप कहेंगे कि यह क्या बात हो गई, तो आपने जैसा किया है, वैसा भुगतो। "बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए।" आप बबूल बो रहे हैं और आम खाने की इच्छा रख रहे हैं। प्रारम्भ में बबूल का झाड़ भी बड़ा प्यारा लगता है और उसके काँटे भी नहीं चुभते हैं। उसी प्रकार से जो संस्कार हैं, जो हमारी सारी पद्धतियाँ हैं, उनमें विकार पैदा होते चले जा रहे हैं। यह विकार ही तो अपराध है। उस विकार को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जिस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, परिवेश को बदलने के लिए जिस प्रकार से प्रयास करने चाहिए, हमें वे प्रयास करने होंगे। आज समाज में बहुत अन्तर है। समाज की शिक्षा में अन्तर है, समाज की अर्थव्यवस्था में अन्तर है, समाज की राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर है, समाज की बाकी की बातों में भी अन्तर है। जब तक यह सामाजिक विभेद रहने वाला है, जब तक यह आर्थिक विभेद रहने वाला है, जब तक यह राजनीतिक संघर्ष रहने वाला है, जब तक यह शैक्षिक विभेद रहने वाला है, जब तक ये बातें रहने वाली हैं, तब तक आदर्श की बात हम कर सकते हैं, किन्तु आदर्श स्थिति के लिए जो कुछ उपाय करने हैं, उनको किए बिना तो यह बात सम्भव नहीं होगी। इसलिए यह बहुत सीधी-सीधी बात है कि जिसने जैसा किया है, यदि वैसा न हो, तो फिर समाज का क्या होने वाला है। आज जैसा अभी हमारे मित्र ने बताया कि ऑनर किलिंग हो जाती है, तो यह क्यों हो जाती है? समाज में समता की बात होनी चाहिए, भारत का संविधान बना हुआ है, उसकी बात होनी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय तो मिल ही नहीं रहा है। अब सामाजिक विभेद है, तो यह नहीं होगा। समाज में आर्थिक विभेद है। एक व्यक्ति को 500 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए का रोजगार नहीं मिल रहा है और दूसरा करोड़ों में है। अब यह जो ईर्ष्या-द्वेष चलने वाला है, तो यह विकार कौन खत्म करने वाला है? इसलिए हमने बहुत आदर्श की बात कही है और आदर्श व्यवहार करने के लिए हमने विधान बनाए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में जो सारे दंड का विधान है, वह इस प्रकार का बनाया गया है। हमने साधारण झगड़े के लिए धारा 323 बनाई, इसी तरह से धारा 324, धारा 325, धारा 326, धारा 306, धारा 307 बनाई, इसी प्रकार से बाकी विभिन्न प्रकार की धाराएँ बनाई। इसलिए जैसा-जैसा अपराध, वैसी-वैसी सजा। उस सजा को नियत करने के लिए हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बनी हुई है। वह पहले सत्र न्यायाधीश के पास जाएगा, फिर वह हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अंततः वह अपनी mercy petition के लिए महामहिम राष्ट्रपति तक भी जाएगा, यदि उसको लगता है कि यह ठीक नहीं है। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी यह हो सकता है। जैसा अभी कहा गया है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे सौ अपराधी छूट जाएँ। यह तो हो ही रहा है। निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने इतनी व्यवस्था बना कर रखी है। उनमें भी कमियाँ तो रहने वाली हैं। जब उनमें बाकी कमियाँ रहने वाली हैं, तो हमें उनमें सुधार करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि हमें पूरा flood gate खोल देना चाहिए कि उस बहाव में सारी चीजें बह जाएँ। इसलिए दंड विधान की जो संहिता बनाई गई है, उसमें सुधार करने की गुंजाइश जरूर है। जैसा-जैसा अपराध हो, उस प्रकार की सजा देने में कठिनाई नहीं है। जैसे हमने कहा कि गरीब को न्याय नहीं मिलता है। अब गरीब को न्याय देने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, परन्तु वह व्यवस्था कितनी कारगर है, उस

पर आप ध्यान दीजिए। उसको कारगर व्यवस्था बनाइए, परन्तु किसी अपराध के लिए कोई एक वकील कर लेता है, वह बहुत समर्थ वकील होता है, बड़ा अनुभवी वकील होता है। अब उस अपराध से बचाव के लिए सरकारी वकील के लिए जो कुछ भी होगा, वह सरकारी है। सरकारी का मतलब यह समझा जाता है कि समझदारी और असरदारी में बहुत फर्क हो जाता है। इस प्रकार उसकी जो pleading करनी चाहिए, वह pleading उस प्रकार की नहीं हो पाती है। जब वैसी pleading नहीं हो पाती है, तो यह अन्तर रह जाता है। यह जो disparity है, जो विभेद है, जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने से ही यह व्यवस्था मजबूत होगी। भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं, उनको समझ के साथ लागू करने के उपाय करने चाहिए। हमारी आजादी के बाद 72 वर्ष हो गए। फिर क्या हुआ? जितना हो रहा है, वह कोई कम नहीं हो रहा है, परन्तु ऐसी गति से ही हो रहा है। अब इसमें और अच्छी कृति होनी चाहिए, और सुधार होना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को पहले गियर में डालते हैं, तो गाड़ी जरा heavy चलती है, फिर दूसरे गियर में डालने से वह जरा हल्की चलती है, तीसरे में डालने से और ठीक चलती है और बाकी गियर डालने से पूरी स्पीड से चलती है। यह जो गियरिंग प्रणाली है, उसमें जो अन्तर है, उसी प्रकार से समाज में सुधार के साथ-साथ ये अन्तर गतिमान हो सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें वह उपाय करना चाहिए, ताकि किसी को भी मृत्यु दंड की सज़ा नहीं हो। जन्म तो प्राप्त कर लिया जाता है, परन्तु मृत्यु देने का काम हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां तो यह कहा भी गया है कि जो अच्छा काम करेगा, उसका अच्छा परिणाम होगा, लेकिन जब तक लोगों को स्वयं यह महसूस नहीं होगा कि अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलने वाला है, जब तक लोगों में इस प्रकार का संशय बना रहेगा, तब तक निश्चित रूप से यह कठिनाई हमारे सामने आती ही रहेगी। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, इस संबंध में मैं कह सकता हूं -

"कोई क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।।
कोई आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम।।"

यह दूरी तो हमें कम करनी ही पड़ेगी और इसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। हमारा यह लोकतंत्र इसलिए बना ही है। लोकतंत्र में जो बातें कही गई हैं, राजनैतिक न्याय की जो बात कही गई है, वह राजनैतिक न्याय तो इसी से उद्भूत होने वाला है। यहां बैठे हुए हम सब जो लोग हैं, हमारी चिंता यही होनी चाहिए कि धीरे-धीरे दंड विधान संहिता में हम उस प्रकार का सुधार करें, जिस प्रकार की हमको आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें कोई मना नहीं कर रहा है।

मैं उम्मीद करता हूं, विचार के लिए यह जो विषय लाया हुआ है, निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम यह सोचना शुरू करेंगे कि इस क्षेत्र में हम कितने और कहां तक आगे पहुंचे हैं। जैसा अभी कहा गया कि मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सज़ा दे दीजिए, वह तो ठीक है, उसको आजीवन कारावास हो गया, लेकिन आजीवन कारावास होने से समाज में संदेश क्या गया? समाज में क्या सुधार हुआ? हम सब जानते हैं कि विनोबा जी का आंदोलन चलता

[डा. सत्यनारायण जटिया]

था, उसमें एक तो भूदान का आंदोलन था, दूसरा, जितने अपराधी या डकैत लोग थे, वे उनको समर्पण करवाने का काम भी करते थे। उन अपराधियों में से कुछ लोग अच्छे निकले और उनका सुधार हो गया, परन्तु जब विनोबा सरीखे व्यक्ति ने इस काम को करना शुरू किया, तो हमने देखा कि क्रूरता और अपराध करने वाले लोग भी सामान्य जन-जीवन में आ गए हैं। इस प्रकार से समाज को संस्कारित करने या सुधार लाने जो प्रवृत्ति है, इस काम को करने के लिए समाज में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का समाज को संस्कारित करने के उपायों में लगना ज्यादा जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह आदर्श स्थिति लाने में हमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी और भरोसा करता हूं कि फिर से हम राष्ट्र में वही स्थिति लाएंगे, जिससे हम भारत की गौरव गरिमा को कायम रख सकें।

"हम कौन थे, क्या हो गये, और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी।।
यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं।
हम कौन थे, इस ज्ञान को, फिर भी अधूरा ही कहें।।"

तो हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यवहार में ला कर सार्थक करना होगा। जिस परिमाण में, समाज में आज यह स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए अपराध के अनुसार ही उसकी दंडात्मक व्यवस्था लागू करना समीचीन होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय अमर पटनायक जी। वैसे तो समय खत्म हो गया है, परन्तु आप तीन मिनट में अपनी बात रखें।

SHRI AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would like to give some evidence about the situation in other countries. In China, the maximum penalty against corruption is death penalty. They do it by getting the accused before the firing squad. But, all of us know, that China continues to remain as one of the most corrupt countries in the world, according to the Transparency International index. Similarly, both the United States and Singapore are developed countries. The maximum penalty in both the countries is death penalty. For example, in Singapore, for an offence like carrying drugs, the penalty is death. They have awarded it to even American nationals. In the United States, it is a different form in which the injections are injected, but the penalty of death is still there. So, the debate on whether the deterrence due to a death penalty is there or not, still remains. Sir, about 140 countries in the world have abolished death penalty and about 40 countries are still continuing with it. The countries which have abolished death penalty are not necessarily developed countries. But, the countries which are continuing with it are developed and are still continuing with it. Sir, I gave the example

of China. They have a strong deterrence, but, corruption continues there. So, I would like to say that when the punishment is given, the event, the seventy of the event, *i.e.*, the ingredients of severity should be tested and then a punishment should be given. The punishment could be retributive, the one of which I am talking about; the death penalty or it could be reformative, the one which is the modern thinking, and they are asking for abolition. Sir, as the hon. Supreme Court has said that "when the collective conscience of society is severely shaken", can we say that the person should be given a chance to reform? Would Nirbhaya's mother have been satisfied with a chance to the acused persons to reform? In Pakistan, for honour killings, they have a provision that it can be traded for money. Can we allow that? So, the situation is that for the concept of rarest of the rare cases, though the interpretation has been left to the courts, I think, is very nice way of having a system, which mixes both the retributive and the reformative part in the justice system. There are many arguments which have been made so far. One, as Professor Jha said, there could be errors of judgement. The other aspect was delay or the pendency, due to which, the person suffers and finally gets released. But nobody has questioned the morality, the severity of the crime involved. On that, I think, there is an agreement that if severity of the crime is very serious, there should be severest of punishment and that has been left for the courts to decide. So, I think, I will not support the Bill but go with the current system. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Hanumanthaiah. You have two minutes' time.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, we are used to speak for two, three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name has come just now and still you have been given the opportunity. Time is already over. Please speak.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, one of the qualities of man is cruelty but we are different from animals. We are not animals. Sir, let me give you an example. If a lion is hungry, it will kill a beautiful deer; it will just leave it there and go in search of water. But if a man is hungry, he will never do that. He will never eat anything which is available. He will search for good food. That is the difference between a man and an animal. For becoming a human being, coming out of the animal attitude is the basic thing.

Sir, so many human beings, however hungry, will not do that. Sir, today, if we support the capital punishment, we have to see the justice which is provided in the

[Dr. L. Hanumanthaiah]

country. Do we provide pure justice? Is justice given to everybody equal? That is the basic question we have to ask. Sir, if a rich man kills somebody for fun or for fashion, what will he do? We have seen many cases. Hon. Members know about it. He will ask either his driver or his workman to accept it and go to the jail, and, he will not go to the jail. He will pay money for his family, he will take care of his family and he will ask him to be in the jail and he gets bail for him the next day. That is what is going on. Sir, let me tell you what will happen if such people have to be given capital punishment. Man is very sensitive. A man was in a jail. He was given the final punishment. While he was being taken to the place to be hanged, on the way, he just saw water flowing in front of him. He did not put his leg into that; he jumped over that. In two minutes, he was going to be hanged but he did not put his leg into the water. See, this is the quality of human being. In such a case, should we give capital punishment to human beings? I think, it should not be given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, I will finish in one minute. Sir, the 'cruelty' is determined by our economic background. Nobody wanted to become rowdy, nobody wanted to become a murderer. But, Sir, a man is forced to be so because of his economic background. His level of education makes him a murderer or a rowdy or a bad man in the society. If people are equal, educationally and economically, then, you can think of these kinds of things but when things are not so, I think, we cannot support the Bill. Thank you.

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री, श्री किशन रेड्डी जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): उपसभापति महोदय, माननीय सांसद, प्रदीप टम्टा जी द्वारा जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से उन्होंने Indian Penal Code, 1860 तथा अन्य कानूनों से मृत्यु-दंड समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु-दंड के imprisonment के स्थान पर आजीवन कारावास replace किया जाए। आज देश में विभिन्न न्यायालयों द्वारा IPC के Section 53 के अंतर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार के punishment अपराधियों को दिए जाते हैं। मृत्यु-दंड भी उनमें से एक है। आजीवन कारावास में साधारण कारावास एवं जुर्माना भी सम्मिलित है। Besides, IPC, there are other laws like the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Army Act, 1950. उनके अंतर्गत भी भारत के न्यायालयों द्वारा मृत्यु-दंड देने का प्रावधान है। माननीय सदस्य ने मात्र IPC से capital punishment समाप्त करने के संबंध में Private Members Bill move किया है। मृत्यु-दंड punishment is specifically recognised by the Constitution of India. मृत्य-दंड का प्रावधान

हमारे संविधान में प्रदत्त है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी संविधान के अंतर्गत मृत्यु-दंड की सजा दी जाती है। Criminal justice is included in Article 72 and Article 161. इन दो sections के अंतर्गत ही अपराधियों को न्यायालय द्वारा मृत्यु-दंड सुनाया जाता है। हर मामले में अलग-अलग प्रावधानों के अंतर्गत मृत्यु-दंड की व्यवस्था हमारे संविधान में है। Article 72 के अंतर्गत मृत्यु-दंड मिले व्यक्ति को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा क्षमा करने का प्रावधान है। Article 161 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल भी किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का पूरा अधिकार भारत के संविधान में विशिष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि किलने लोगों को मृत्यु-दंड अब तक दिया गया - 2012 में सिर्फ एक व्यक्ति, 2013 में एक व्यक्ति, 2014 में zero, 2015 में एक व्यक्ति और 2016 में zero. National Crime Records Bureau द्वारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है, ये आंकड़े उसके अनुसार हैं। जिन लोगों को हैंग किया गया, मृत्यु-दंड दिया गया, उनकी संख्या 2012 में एक, 2013 में एक और 2015 में एक है। महामहिम राष्ट्रपति को 1981 से लेकर आज तक मृत्यु-दंड के against 135 mercy petitions प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 को महामहिम राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया, 99 cases लागू किए और उनमें से एक व्यक्ति का इस बीच जेल में देहांत हो गया। एक व्यक्ति की फाइल राष्ट्रपति महोदय के पास pending है। न्यायालयों द्वारा मृत्यु-दंड सुनाने के बाद लोग Trial Courts जाते हैं, Trial Court के बाद वे High Court जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी अगर उनके मृत्यु-दंड को बरकरार रखे तो वे महामहिम राज्यपाल के पास जा सकते हैं। अगर राज्यपाल महोदय ने भी मृत्यु दंड सुनाया, तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड सुनाया, तो वह महामहिम राष्ट्रपति के पास जा सकता है। हमारे संविधान में अपील के लिए इतने स्टेप्स दिए गए हैं, इतने चांसेज़ दिए गए हैं। अगर गलती से यह सजा दी गई, तो हम इसकी सुनवाई के लिए अलग-अलग जगहों पर जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, गवर्नर के पास जा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार भी राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को है। उनको विराम देने का अधिकार है, राहत प्रदान करने का अधिकार है, छूट देने का अधिकार है, स्थगित करने का अधिकार है, कम करने का अधिकार है, पूरा माफ करने का भी अधिकार है। हमारे महान लोगों ने बहुत सोच-विचार कर संविधान और आईपीसी में इस तरह के कानून का प्रावधान किया गया है। Death penalty can be awarded only in exceptional cases and unavoidable situations में ही मृत्यु दंड सुनाया जाता है, यह आप सब लोगों को मालूम है। अगर ट्रायल कोर्ट के द्वारा death penalty सुनायी जाती है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ऐसे अलग-अलग चांसेज़ हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। मृत्यु दंड पर अमल करने से पहले संबंधित व्यक्ति को न्याय व्यवस्था में अपील करने का भी प्रोविजन दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय से विनती करना चाहता हूँ.... क्योंकि death sentence के बारे में देश में क्या चर्चा हो रही है? हमने दिल्ली में निर्भया कांड देखा। निर्भया कांड के बाद देश भर में आंदोलन हुआ, एक स्कूल भी ऐसा नहीं विद्यालय नहीं छूटा, एक विद्यालय भी ऐसा नहीं छूटा, एक वीमेन्स कॉलेज भी ऐसा नहीं छूटा, जिसने इसको लेकर सड़कों पर आंदोलन न किया हो। मैं Warangal प्रांत से आता हूँ, हमारे आदरणीय खान साहब भी बैठे हैं, Warangal में इसी महीने में 9 महीने की लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या

[श्री जी. किशन रेड्डी]

कर दी गई। इसको लेकर अभी Warangal में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सभी girls and boys यूनिवर्सिटी से बाहर आकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि इसके दोषियों को death penalty दी जाए। अभी उसको arrest किया गया है और वह अभी जेल के अंदर है। आंदोलनरत लोगों की मांग है कि उसको सबके सामने death penalty दी जाए। इसको लेकर देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। यह अलग-अलग जगहों पर हो रहा है। अभी-अभी हाल ही में हम लोगों ने POCSO अमेंडमेंट बिल पारित किया है, उसमें भी मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है और आज हमारे सांसद जी मृत्यु दंड को हटाने संबंधी प्राइवेट बिल लेकर आए हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह Concurrent List में भी है। केन्द्र सरकार खुद नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी latest judgment में Bachan Singh's case में death penalty के बारे में कहा है कि the rarest of rare cases में death penalty रहनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका है, 2 जुलाई, 1983 में Machhi Singh's case में बताया गया है कि the rarest of rare case में क्या रहना चाहिए? उसमें इसके लिए एक five-point formula भी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट सुनाया गया था, उसमें यह है कि manner, motive, abhorrent nature, magnitude of crime and personality of the victim, इन पांच विषयों पर मृत्यु दंड देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के latest judgment में दिया गया है। Manner मतबल where murder is committed with extreme brutality like burning the victim alive or when the body is cut into pieces. अगर कोई इस तरह से हत्या करता है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। Motive; when the motive reveals total depravity and meanness, ऐसे केसेज़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड देने के लिए कहा है। Abhorrent social nature crime; when murder is socially burning or killing of a dalit. Abhorrent; ऐसे केसेज़ में भी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड देने के लिए कहा है। Magnitude of crime; when the crime is enormous, multiple murders, ऐसे केसेज़ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में दिया है। Personality of victim; when the victim is an innocent child, a helpless man or a respected public figure and political murder. सुप्रीम कोर्ट ने इन पाँच विषयों में मृत्यु दंड के लिए दिया है। It is a five point formula. सुप्रीम कोर्ट ने rarest of rare केसेज़ में death penalty punishment देने के लिए कहा है।

उपसभापति जी, इस विषय पर चर्चा कहाँ से शुरू हुई? लॉ कमीशन ने अगस्त 2015 में अपनी 262 रिपोर्ट में कहा है, death penalty be abolished for all crimes other than terrorism-related offences and waging war. इस विषय पर सरकार को कमीशन ने चिट्ठी लिखी है। यह Concurrent List का विषय है। Concurrent List में रहने के कारण, जिस चिट्ठी में लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को अपना opinion दिया,उसके बाद हमने 13 अक्टूबर, 2015 को सभी स्टेट्स को चिट्ठी लिखी। उनका opinion मांगा है कि हमें ऐसा लॉ कमीशन ने दिया है, इस पर आपका opinion क्या है, because this is a Concurrent List. स्टेट गवर्नमेंट्स को दो-तीन बार चिट्ठी लिखने के बाद, रिमाइंडर्स भेजने के बाद 14 स्टेट्स और five Union Terroteris ने अपने सुझाव दिए हैं। उनमें से 90 परसेंट ने सुझाव दिया है कि death penalty रहनी चाहिए,

पनिशमेंट रहनी चाहिए, यह मृत्यु दंड रहना चाहिए। एक स्टेट को छोड़कर सभी स्टेट्स ने केंद्र सरकार को इसके पक्ष में चिट्ठी लिखी है। कुछ स्टेट्स ने सुझाव भी दिया कि time-bound programme होना चाहिए। ऐसी देश भर में आज माँग चल रही है। सभी women's organizations और एनजीओज़ भी इस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं कि टाइम बहुत लग रहा है। इसमें इतने स्टेप्स हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, इसके कारण बहुत साल लग रहे हैं। यह जल्दी होना चाहिए, ऐसी बहुत बड़ी डिमांड women's organizations, student organizations द्वारा हो रही है। खास कर जो बच्चों पर अत्याचार होते हैं, जो लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, बालिकाओं पर अत्याचार होते हैं, इस विषय पर कठिन से कठिन कानून होना चाहिए। फ्रेमवर्क के अंदर तुरंत पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा एक बड़ा आंदोलन देश भर में चल रहा है। ऐसे समय में इस विषय पर सरकार निर्णय नहीं ले सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कानून का भय जरूर रहना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट बहुत कम लोगों को मिली है, यह मैं बता चुका हूँ, इसलिए कानून का भय रहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के साथ कोई अत्याचार न हो, कोई हत्या न हो, कोई अपराध न बढ़े। यह हमारी जिम्मेदारी भी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। मौत की सज़ा सुनाने के के बाद जो प्रावधान हैं, उसके लिए किए जाने वाले उपायों पर सबको सोचना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी चर्चा में आया कि कुछ गरीब लोगों के पास कोर्ट केसेज़ के लिए पैसे नहीं हैं। आज भारत सरकार ने जो लोग पैसे नहीं लगा सकते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सब जगह legal aid दी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। सरकार भी lega aid दे रही है, एनजीओज़ भी दे रहे हैं। उनकी तरफ से aid लेकर सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और राष्ट्रपति का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। यह डेमोक्रेसी भारत के अंदर है, यह सिस्टम भारत के अंदर है। यह डेमोक्रेसी भारत के अंदर है, यह सिस्टम भारत के अंदर है। भारत ने यह कभी नहीं सोचा कि ऐसे लोगों की हत्या करनी है। हम पत्थर की पूजा करते हैं, हम झाड़ की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं, ऐसी संस्कृति भारत की है। इसलिए अगर कोई बच्चों या लड़कियों के ऊपर अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, हत्या करता है या ऐसा काम जो कानून के अंदर क्राइम है, वह करता है अथवा जो भारत के खिलाफ काम करता है, उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मोहम्मद अजमल कसाब की भी डेथ पेनल्टी हुई और उसको फाँसी दी गई। अफजल गुरु, जिसने इसी संसद के ऊपर हमला कराया था, उसको भी फाँसी दी गई। हम लोग जो यहाँ बैठते हैं, उसने हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया था, उससे हमें बचाने के लिए हमारे नौ लोग इसी संसद के गेट के बाहर शहीद हो गए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। क्या उनका कोई Fundamental Right नहीं था? उनके जो बच्चे और परिवार हैं, क्या उनका कोई Fundamental Right नहीं है? जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं, क्या उनके लिए Fundamental Right नहीं होने चाहिए? ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें कोई उदारता नहीं रखनी चाहिए।

जैसा मैंने अभी बताया कि एक नौ महीने की लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया। आप सोचिए कि उसके माँ-बाप पर क्या बीतती होगी? जिस माँ ने नौ महीने अपने पेट में रखकर जिस

[श्री जी. किशन रेड्डी]

बेटी को जन्म दिया हो और उस बेटी की हत्या उसकी आँखों के सामने हो जाए, तो उस माँ पर क्या गुजरती होगी? क्या उस माँ को Fundamental Rights लेने का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी उसके लिए यह समय नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सरकार भी आपकी बात से सहमत है और जब समय आएगा, तब हम इस पर जरूर सोचेंगे। इस विषय पर सबको सोचना चाहिए। इस पर देश में एक broad consensus होना चाहिए। कोई सरकार या समाज अपने देश में अत्याचार होने देना और फिर दोषियों को फाँसी की सज़ा देना नहीं चाहता। यह सभी चाहते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए, जिसमें अत्याचार होना नहीं चाहिए और किसी को फाँसी भी नहीं मिलनी चाहिए। यह सरकार भी चाहती है और समाज भी चाहता है और हम आने वाले दिनों में ऐसा समाज निर्मित करने का प्रयास करेंगे। यह सबकी इच्छा होती है कि ऐसा समाज होना चाहिए, इसलिए इसके लिए एक consensus होना चाहिए ।

अभी सदन में माननीय सदस्यों ने मृत्यु-दंड को हटाने के संबंध में अपने जो भाव व्यक्त किए हैं, उन भावों की मैं respect करता हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार सोचिए। कोई भी सरकार या समाज यह नहीं चाहता है कि सबको मृत्यु-दंड मिले। हमारे देश में जितना मृत्यु-दंड मिला है, उसकी संख्या बहुत कम है। जिनको यह दंड मिला भी है, उनको अलग-अलग समय पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसलिए मैं सरकार की तरफ से आदरणीय प्रदीप जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो करना है, वह हम सब मिलकर करेंगे। जब समय आएगा, तब सरकार भी इस पर विचार करेगी। इस सदन में इस विषय पर जितने महानुभावों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनके भावों को respect देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जब समय आएगा तब मृत्यु-दंड समाप्त करने के विषय पर सरकार भी सोचेगी। The Government is seized of the matter and it has already examined the same. The Government can take a view on the Report after reaching the broad consensus on the matter. इस पर सभी स्टेट्स से विचार आने चाहिए, क्योंकि यह विषय Concurrent List में है। समाज को भी इस विषय पर हमारे पक्ष में होना चाहिए। स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनका मनोभाव क्या है, उसमें भी थोड़ा change होना चाहिए, इसलिए इस पर consensus होना चाहिए । The Government is seized of the matter and already examining this issue. The Home Ministry can take a view on the report after reaching a broad consensus on this matter.

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि सरकार किसी को भी मृत्यु-दंड देने के पक्ष में नहीं है, मगर जो henious crime होते हैं, इस विषय पर जरूर सोचा जाना चाहिए। अभी इसी सत्र में दो दिन पहले POCSO में और अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि देश भर से सरकार के पास डिमांड आई थी। आप लोगों को मालूम है कि "निर्भया कांड" के समय में देश में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें हज़ारो-लाखों लोग रोड पर निकलकर आए थे। एक महीने तक कोई स्कूल व कॉलेज नहीं चले, कोई विश्वविद्यालय नहीं चला, सारे NGOs रोड पर उतर आए, सारे women organizations रोड पर उतर आए, उस व्यक्ति को

मृत्यु दण्ड देने के लिए, इसलिए अभी यह समय नहीं है और मैं आदरणीय प्रदीप जी से प्रार्थना करता हूं कि यह प्रस्ताव वापस लें। हम सभी मिलकर इसके पक्ष में हैं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। अब मूवर श्री प्रदीप टम्टा जी बोलेंगे।

श्री प्रदीप टम्टा : माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं। यह निजी बिल है, Private Members' Bill है, इसलिए मैं सभी सदस्यों का, जिन्होंने पक्ष में बोला या विपक्ष में बोला, दोनों ही ओर के सदस्यों का आभारी हूं, क्योंकि पार्टी का सवाल नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं, लेकिन सदन में जो बहस हुई, जो माननीय मंत्री जी ने कहा, उसमें मैं अपनी थोड़ी सी बात ज़रूर कहना चाहूंगा। मैं जानता था और मैं जानता हूं कि जिस तरह का माहौल इस समय देश में है, इस बात को कहना भी अपने आप में बहुत कठिन है। मैं जब आ रहा था तो मेरे ही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि ऐसे समय में तुम इस बिल को लाए हो, मैंने कहा कि समय नहीं, बल्कि न्याय का सवाल है। मैं नहीं लाया हूं। मैं देश के सर्वोच्च सदन के सामने... सड़कों पर क्या हो रहा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। निर्भया कांड के बारे में आपने ज़रूर कहा है। मेरा मकसद कहीं नहीं है कि अपराध और दण्ड...आप अपराध करेंगे तो दण्ड भी मिलेगा, लेकिन जो मृत्युदण्ड है, मृत्यु ऐसी चीज़ है, जिसे दिए जाने के बाद, अगर आपसे गलती हो गई थी... जैसा माननीय यादव जी ने कहा कि आप फिर उस पर कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी अपनी बात में कहा कि अंकुश मारुति शिंदे के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 9 लोगों को मृत्युदण्ड की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने 3 लोगों के लिए मृत्युदण्ड जारी रखा और 3 को आजीवन कारावास की सज़ा कर दी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सारे 6 लोगों को मृत्युदण्ड दे दिया। वर्ष 2003 का मामला था, फिर वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू बेंच ने कहा कि ये सारे लोग निर्दोष थे, इनको कोई भी सज़ा नहीं दी, सबको छोड़ दिया और यह भी कहा कि जो दोषी थे, वे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ़ जांच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट...सिर्फ लॉ कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी, इस देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉ कमीशन को संदर्भित किया था कि वक्त आ गया है कि आज मृत्युदण्ड के मामले में विचार किया जाना चाहिए कि क्या मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए, क्या यह उचित है या उचित नहीं है? वर्ष 2015 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने निर्णय देकर लॉ कमीशन को इस मामले को संदर्भित किया और उसी लॉ कमीशन ने उस संदर्भ को लेते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट का मैं थोड़ा सा last point पढ़ रहा हूं। लॉ कमीशन ने कहा है... माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सारे राज्यों से भी सहमति ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मामले हैं, मैं सहमत भी हूं। लॉ कमीशन ने कहा कि terrorism, war against nation, के मामले को छोड़कर सारे मामलों में मृत्युदण्ड, capital punishment को वापस ले लिया जाए। यह अंतिम संस्तुति की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा, जो महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं इस बिल को लाया था। "Although there is no valid penological justification for treating terrorism differently from other crimes." उसी आधार पर उन्होंने कहा "...no valid penological justification for treating terrorism differently from other crimes, concern is often raised that abolition of death penalty for terror-related offences and waging war will affect

[श्री प्रदीप टम्टा]

national security." लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि... मैं क्या सोचता हूं कि देश को किस ओर जाना चाहिए, "Further, the Commission sincerely hopes that the movement towards absolute abolition will be swift and irreversible." अंत में कहा है कि हमको और देश को उस ओर बढ़ना चाहिए, जहां कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें न आएं। आज दुनिया उधर की ओर जा रही है। दुनिया के अधिकांश लोग लोकतांत्रिक देशों में भी जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी एक चीज़ इसलिए कह रहा था और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ ही लोगों को सज़ा दी गई। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उसमें वर्ष 2018 में 162 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई और आप भी जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स से आगे आते मामला जब सुप्रीम कोर्ट पिटिशन में मर्सी तक भी जाता है, 15 से लेकर 20, 25 साल तक चले जाते हैं। उस दौरान एक व्यक्ति मृत्युदंड के डर में ही रहता है। क्या स्थिति है? हम यह नहीं कह रहे हैं कि दंड को समाप्त कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी दो-तीन मामलों में life imprisonment, आजीवन कारावास के बारे में कहा है, जैसे आजीवन कारावास को 14 साल का मान लिया जाता है कि आदमी 14 साल बाद छूट जाएगा- जैसे पॉक्सो ऐक्ट कल ही यहां आया। सरकार ने भी उसमें 20 साल, 25 साल और फुल लाइफ टर्म सज़ा का प्रावधान किया। जब सुप्रीम कोर्ट भी उस ओर बढ़ रही है कि आजीवन कारावास का मतलब यह नहीं है कि 14 साल के अंदर ही आपको छोड़ दिया जाएगा, आपने जिदंगी भर क्राइम किया है, आपने अपराध किया है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आपको आजीवन जेल के अंदर रहना पड़ेगा और फुल टर्म की सज़ा होगी। क्या देश उस ओर नहीं बढ़ सकता है?

महोदय, अधिकांश मामलों में जो सज़ा हो रही है, मेरा माननीय मंत्री जी से भी यह कहना है कि हम दंड पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपराध, क्राइम और punishment में हम punishment पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन जो अपराध है, जो क्राइम है, उसकी जो पहली स्टेज है, उसमें Investigation ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पुलिस रिफॉर्म में लॉ कमीशन ने जो रिकमंडेशंस की हैं, उन सारी चीज़ों को हम छोड़ दें, लेकिन जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनको adequate रूप से compensation मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो साक्षी हैं, जो witness हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब ठीक से investigation होगा, तभी वह मुकम्मल दंड तक जाएगा। उन मामलों में भी हमें और सरकार को सोचना चाहिए। जब सदन के अंदर अपराधों के संदर्भ में चर्चा होती है कि हर मामले में 10, 20, 30 परसेंट से ज्यादा सज़ा नहीं हो रही है, चाहे गंभीर अपराध में हो या सामान्य अपराध में हो।

मान्यवर, मैं अधिकांश मामलों में देख रहा था, दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवसिर्टी ने जब 381 लोगों का अध्ययन किया, जिन्हें 45-20 साल में क्राइम करने पर मृत्युदंड की सज़ा हुई है, इस सारे ताने-बाने का उन्होंने सोशल प्रोफाइल किया, तो पाया कि उसमें अधिकांश गरीबी झेलने वाले लोग हैं, सारे poor families से हैं। उसमें अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े-लिखे हैं और सोशयली सबसे ज्यादा SC/S/Minorities और OBC परिवारों के हैं। जो हमारे ही समाज का

ताना-बाना है, इसलिए सरकार को इसमें जरूर सोचना चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। आज सारे मामलों में आगे नहीं जा सकते हैं, तो एक मामले में - जो लॉ कमीशन ने पहली रिपोर्ट दी है कि डेथ पैनल्टी को टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट नेशन के अलावा अन्य मामलों में समाप्त किया जाए - चाहे आई.पी.सी हो या अन्य मामले हों, मेरा लक्ष्य यह था कि इस समय यह उच्च सदन इस बारे में चर्चा जरूर करे और एक वातावरण बनाए। हर बात में एक बात आती है, हर ऐक्ट में आ रहा है, हर अपराध में आ रहा है कि फांसी पर लटका दो। जिस निर्भया कांड की हम चर्चा करें, देश में लाखों लोग जब सड़कों पर थे, उस समय आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन उस समय भारत सरकार ने जस्टिस वर्मा जी के नेतृत्व में एक three members की कमेटी बनाई, उसमें भी रेप के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं किया गया था। यह मामला है, जब सड़क पर लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों के उबाल के बावजूद भी जब जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में जो कमीशन बैठा है, जो देश में गया, सबसे बातचीत की, उसने भी कहा कि आगे फुल टर्म life imprisonment होना चाहिए, वह आजीवन जेल में सड़े, जैसा प्रो. वर्मा जी ने भी कहा है। मैं फिर अपनी इस बात को रखते हुए कहना चाहता हूं कि यह देश आगे की ओर जाए, इस देश में सदियों से, कभी-कभी तो जिसने अपराध न भी किया हो, उसे भी सजा मिल जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि शम्बूक ऋषि ने कौन सा अपराध किया था, केवल ज्ञान के लिए तपस्या ही तो की थी, लेकिन इस देश की धरती पर उन्हें भी फांसी की सजा मिल गयी। मैं उसी पीढ़ी का, उन्हीं का एक वंशज हूं। महोदय, आज के इस दौर में, जब पूरी दुनिया में capital punishment के खिलाफ एक भाव चल रहा है, तो मैं इस सदन के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें अपराध पर, उसके investigation पर, police reforms पर - जिनके बारे में Law Commission ने खुद कहा है - ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से अपराधी को जल्दी सज़ा मिले और जो victim है, उसे ठीक से compensation मिले - उस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए न कि दंड पर कि नहीं साहब, लटका दो, और फिर समाज अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए।

महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि हम देश के सभी राज्यों से इस संबंध में सहमति ले रहे हैं, आशा करता हूं कि हम एक दिन जरूर उस ओर जाएंगे, इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing the Bill or should I put the motion to vote?

SHRI PRADEEP TAMTA: Sir, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has Shri Pradeep Tamta the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.